FORM-1

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No--- **Dated-----19/12/14**

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.70** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, Public Work Department, Ranikhet (Almora, Uttarakhand)** for **Construction of Vinayak- Rikhad-Kotiyag Motar Road(7.00km)** in **Almora** district falls within jurisdiction of **Rikhad** village (s) in **Bhikyasen** tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.70** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

19.12.14

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा.

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT: ALMORA (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S Deputy commissioner Almora on date 19/12/14... at time .3:00 P.M..at Almora in which application claiming rights in Rikhad area measuring 2.70 hectares, for the **Construction of Vinayak-Rikhad-Kotiyag Motar Road(7.00km),** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhikyasen sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:Almora

Dated:..19/12/14..

19.12.14

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा।

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– विनायक- रिखाड़- कोटियाग मोटर मार्ग

कार्यालय उपजिलाधिकारी, भिकियासैंण ।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति भिकियासैंण

उपखण्ड भिकियासैंण परिक्षेत्र के अन्तर्गत (आरक्षित वन भूमि शून्य है0, सिविल सोयम भूमि 1.980 है0 तथा वन पंचायत भूमि 0.720 है0 अर्थात कुल वन भूमि 2.700 है0) निर्माण खण्ड,लो0नि0विभाग, रानीखेत के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी / वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति तहसील भिकियासैंण की दिनांक 9/12/11 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन प्रवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में श्री एन. एस. नबियाल उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता मे आयेाजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1. श्री एन. एस. नबियाल उपजिलाधिकारी .... अध्यक्ष।
2. श्री भूपेन्द्र सिंह डीना उप प्रभागीय वनाधिकारी .... सदस्य।
3. श्री आर.एस. रावत सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... सदस्य / सचिव।
4. श्रीमती निर्मला शर्मा बी0डी0सी0 क्षेत्र रिखाड़ .... सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदयों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड भिकियासैंण के अन्तर्गत विनायक रिखाड़ कोटियाग मोटर मार्ग का (7.00 किमी0) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई भी मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति के आधार पर पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुवे जानकारी से मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उप खण्ड भिकियासैंण परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड भिकियासैंण के अन्तर्गत विनायक रिखाड़ कोटियाग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.700 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड,लो0नि0विभाग, रानीखेत को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रतयावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उपजिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी अल्मोड़ा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा।

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– विनायक- रिखाड़- कोटियाग मोटर मार्ग

.... ।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– रिखाड़

तहसील :– भिकियासैन जिला अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड भिकियासैन में विनायक- रिखाड़ कोटियाग मोटर मार्ग के निर्माण (7.00 किमी0) परियोजना हेतु आरक्षित वन भूमि शून्य है0, सिविल सोयम भूमि 1.980 है0 तथा वन पंचायत भूमि 0.720 है0 अर्थात कुल वन भूमि 2.700 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रिखाड़ द्वारा दिनांक 5-12-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रिखाड़ के ग्रामवासियो को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड,लो0नि0विभाग, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एंव सही है।

खष्टी देवी
प्रधान
ग्राम पचायत–रिखाड़
वि0 ख0 – भिकियासैण

ग्राम प्रधान

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
(रिखाड़)

Anand Anapatti Van Adhikar Act 2006

प्रपत्र–23.1

दिनांक 5-12-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :- रिखाड़

क्रम सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	ख्याली दत्त S/o हरीदत्त	[signature]
2	चन्द्र दत्त S/o राधावल्लभ	चन्द्रदत्त
3	कमला देवी पत्नी कैलाशचन्द्र	कमलादेवी
4	रमेशचन्द्र लालदत्त	रमेशचन्द्र
5	कु० चम्पा	[signature]
6	नवीन कैलाश S/o विशनदत्त	
7	जीवनराम S/o डूंगरराम	खष्टीदेवी प्रधान ग्राम पंचायत–रिखाड़ वि० ख०–थलीसैण
8	खष्टी देवी	
9	राधा देवी जीवुली देवी	ग्राम प्रधान
		नन्दवल्लभ
10	जयदत्त	कमलाकान्त
11	चिन्तामणि S/o राधावल्लभ	चिन्तामणि
12	जयदत्त S/o पिरदेव	[signature]
13	त्रिलोकनाथ S/o ख्यालीदत्त	त्रिलोकनाथ
14	कमलाकान्त S/o चिन्तामणि	कमलाकान्त

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :– विनायक – रियाड़ – कोटियाग मोटर मार्ग

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जिला अल्मोड़ा के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विकास खण्ड भिकियासैण के अन्तर्गत विनायक रियाड़ कोटियाग मोटर मार्ग का निर्माण 7.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु 2.700 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0विभाग, रानीखेत को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/ अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिनियम समिति भिकियासैण तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जाजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/ वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

उपजिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
भिकियासैन
जिला-अल्मोड़ा

19.12.14
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा.

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– बिनायक- रिखाड़- कोटियाग मोटर मार्ग /

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित विकास खण्ड भिकियासैंण के अन्तर्गत बिनायक रिखाड़ कोटियाग मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.700 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मंत्रालय के पत्र 11–9/98 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केविल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेशों के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है।

19.12.14

जिला समाज कल्याण अधिकारी / नोडल अधिकारी अल्मोड़ा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी अल्मोड़ा।

Anand Annex Van Adhikar Act 2006